क्रम-सं०–130

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 जुलाई, 2012

आषाढ़ 15, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 515/79-वि-1–12-1(क)1-12
लखनऊ, 6 जुलाई, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पर दिनांक 6 जुलाई, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2012 के रूप मे सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है –

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2012]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये।

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) धारा 2 को 15 मार्च, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, सन् 1975 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में ;—

(क) उप धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी और दिनांक 15 मार्च, 2012 को रखी हुयी समझी जायेगी, अर्थात् :—

"(1) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त अपनी पदावधि की समाप्ति के होते हुये भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद भार ग्रहण न कर ले।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि,—

(क) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को, धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।"

(ख) उप धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी और दिनांक 15 मार्च, 2012 को रखी हुयी समझी जायेगी, अर्थात् :—

"(3) पद पर न रह जाने पर, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये अपात्र हो जायेगा।";

(ग) उप धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(6) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा किया गया संशोधन उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को, यथास्थिति, आसीन लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त पर लागू होगा।"

धारा 9 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उप धारा (1) में, खण्ड (ख) में शब्द "लोक सेवक" के स्थान पर शब्द "आसीन लोक सेवक" रख दिये जायेंगे।

(ख) उप धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक परिवाद के साथ उसके समर्थन में नोटरी के समक्ष सत्यापित स्वयं परिवादी का निजी शपथ पत्र और उन सभी व्यक्तियों के भी शपथ पत्र होंगे जिनके द्वारा अभियोग से सम्बन्धित तथ्यों की सूचना प्राप्त होने का वह दावा करता है और अभियोग से सम्बन्धित सभी दस्तावेज होंगे जो उसके कब्जे या उसकी शक्ति में हों, और परिवाद के साथ उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977 के अधीन दायर अभिकथन के परिवाद के सम्बन्ध में प्रतिभूति के रूप में दो हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जायेगा।"

धारा 13 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उप धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(5-क) इस अधिनियम के अधीन यदि अन्वेषण के किसी प्रक्रम पर, जहाँ लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि

परिवाद तुच्छ या तंग करने वाला है अथवा सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है या किसी लोक सेवक को अपमानित करने की दृष्टि से किया गया है तो, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त परिवादी को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे परिवाद के अन्वेषण को अपने विवेकानुसार बन्द कर सकता है और पचास हजार रुपये से अनधिक की धनराशि तक हर्जाना लगा सकता है, जो राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित शीर्षक के अधीन जमा की जायेगी। यदि परिवादी द्वारा आदेश के दिनांक से दो माह के भीतर हर्जाने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह परिवादी की सम्पत्ति से भू-राजस्व के रूप में कलेक्टर के माध्यम से वसूल की जायेगी।"

(5-ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकथन के अन्वेषण के पश्चात् यदि लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे अन्वेषण के परिणाम स्वरूप संबंधित लोक सेवक के साथ अन्याय हुआ है या उसकी मानहानि हुई है, तो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त उसके आवेदन करने पर कारण उल्लिखित करते हुये अपने विवेकानुसार ऐसे लोक सेवक को, जिसे अन्याय या मानहानि के कारण कोई क्षति हुई है उप धारा (5-क) के अधीन परिवादी पर अधिरोपित हर्जाने की धनराशि में से हर्जाने की अधिकतम सीमा से अनधिक धनराशि तक प्रतिकर प्रदान कर सकता है और ऐसा प्रतिकर राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा।"

धारा 20-क का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 20-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी अर्थात् :—

"20—क—एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को या उनके सम्बन्ध में देय वेतन, भत्ता और पेंशन, उनके कर्मचारीवर्ग और कार्यालय से संबंधित व्यय और धारा 13 की उप धारा (5-ख) के अधीन अन्याय या मानहानि के लिये लोक सेवक को दी गयी प्रतिकर की राशि और इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2012

6—(1) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उप धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

कतिपय मामलों में मंत्रियों, विधायकों और अन्य लोक सेवकों के विरूद्ध शिकायतों और अभिकथनों का अन्वेषण करने के निमित्त कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों हेतु व्यवस्था किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, सन् 1975) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन श्री नरेन्द्र किशोर मेहरोत्रा को अधिसूचना संख्या 40 लो०आ०/39—4—2006—15(5)/2006, दिनांक 09 मार्च, 2006 द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री मेहरोत्रा ने दिनांक 16 मार्च, 2006 को शपथ ग्रहण करने के पश्चात् अपना पदभार ग्रहण कर लिया था। उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तत्समय प्रवृत्त उपबंधों के अधीन छः वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् श्री मेहरोत्रा का कार्यकाल इस रूप में दिनांक 15 मार्च, 2012 को समाप्त हो गया था और लोक आयुक्त के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कोई विनिश्चय नहीं

किया गया था। चूँकि किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने के विनिश्चय में समय लगने की संभावना थी, अतः यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का कार्यकाल छः वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष किये जाने या उनके उत्तराधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने तक उक्त कार्यकाल को बढाये जाने, इस रूप में पद पर न रहने पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अग्रतर नियुक्ति हेतु लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त की अपात्रता को सीमित किये जाने और उक्त उपबन्धों को दिनांक 15 मार्च, 2012 को आसीन, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उपलोक आयुक्त पर लागू करने की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और तत्काल विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2012 को उत्तर प्रदेश आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, सन् 2012) प्रख्यापित किया गया।

तत्पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9,13 और 20–क को संशोधित कर के निम्नलिखित की व्यवस्था की जाय–

(क) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977 के अधीन दायर अभिकथन के परिवाद के संबंध में परिवादी द्वारा परिबाद के साथ प्रतिभूति के रूप में दो हजार रूपये का भुगतान;

(ख) लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को किसी परिवाद के संबंध में अन्वेषण को बन्द करने और पचास हजार रूपये से अनधिक की धनराशि तक हर्जाना लगाने के लिए सशक्त करना, जहाँ उनका यह समाधान हो जाता है कि परिवाद मिथ्या या तंग करने वाला है अथवा सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है या लोक सेवक को अपमानित करने की दृष्टि से किया गया है,

(ग) लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को ऐसे लोक सेवक को, जिसे अन्याय या मानहानि के कारण क्षति हुई है, परिवादी पर अधिरोपित हर्जाने की अधिकतम धनराशि तक प्रतिकर प्रदान करने के लिए सशक्त करना,

(घ) उक्त प्रतिकर को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय का रूप देना।

तदनुसार पूर्वोक्त संशोधन सहित पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रति स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जकी उल्लाह खाँ,
प्रमुख सचिव।

No. 515(2)/LXXIX-V-1-12-1(ka)1-12
Dated Lucknow, July 6, 2012

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Uttar Pradesh Lok Ayukta Tatha Up-Lokayuktas (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012** (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4of 2012) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 6, 2012.

THE UTTAR PRADESH LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) ACT, 2012

(U.P.ACT No. 4 OF 2012)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 2012.

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on March 15, 2012 and the remaining provisions shall come into force at once.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975 *hereinafter* referrd to as the principal Act,- Amendment of section 5 of U.P. Act no. 42 of 1975

(a) *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted* and be deemed to have been substituted on March 15, 2012 namely :—

"(1) Every peson appointed as the Lokayukta or Up-Lokayukta shall hold office for a term of eight years from the date on which he enters upon his office:

Provided that the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall, notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office:

Provided further that,-

(a) the Lokayukta or an Up-Lokayukta may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office :

(b) the Lokayukta or an Up-Lokayukta may be removed from office in the manner specified in section 6."

(b) *for* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted* and be deemed to have been substituted on March 15, 2012 namely :-

"(3) On ceasing to hold office, the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall be ineligible for further employment under the Government of Uttar Pradesh."

(c) *After* sub-section (5) the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(6) The amendment made by the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 2012 shall be applicable to the sitting Lokayukta or Up-Lokayuktas as the case may be, on the date of commencement of the said Act."

3. In section 9 of the principal Act,- Amendment of section 9

(a) in sub-section (1), in clause (b) *for* the words "public servant" the words "sitting public servant" shall be *substituted*.

(b) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(2) Every complaint shall be accompanied by the complainant's own affidavit in support thereof and also affidavits of all persons from whom he claims to have received information of facts relating to the accusation, verified before a notary together with all documents in his possession or power pertaining to the accusation and a sum of Two thousand rupees shall be paid as security alongwith the complaint, in respect to complaint involving allegation, filed under the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Complaint) Rules, 1977."

4. In section 13 of the principal Act *after* sub-section (5) the following sub-sections shall be *inserted*, namely :- Amendment of section 13

"(5-a) If at any stage of investigation, under this Act, where the Lokayukta or any Up-Lokayukta is satisfied that the complaint is false or vexatious or is not made in good faith or filed in order to defame any public servant, the Lokayukta or Up-Lokayukta, as the case may be after giving a reasonable opportunity of showing cause to the complainant, may in his discretion cease to investigate the complaint and impose cost not exceeding fifty thousand rupees which shall be deposited under the respective head of the consolidated Fund of the State. If the amount of cost is not paid by the complainnant within two months from the date of the order if shall be realized as land revenue, through Collector, from the property of complainant.

(5-b) After the investigation of any allegation under this Act, if the Lokayukta or the Up-Lokayukta is satisfied that such investigation has resulted in injustice or caused defamation to the concerned public servants,

he may on their application, award, compensation recording reasons therefor not exceeding the maximum amount of the cost, out of the cost as imposed on the complainant under sub-section (5-a) to such public servant, who has suffered any loss by reason of injustice or defamation, and such compensation shall be charged on the Consolidated Fund of the State."

Amendment of section 20-A

5. *For* section 20-A of the principal Act the following section shall be *substituted,* namely:–

"20-A It is hereby declared that the salary, allowances and the pensions payable to or in respect of the Lokayukta or the Up-Lokayaktas, the expenditure relating to their staff and office and the amount of compensation awarded to the Public Servant under sub-section (5-b) of section 13 by reason of injustice or defamation and other expenditure, in respect of implementation of the provisions of this Act, shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State."

Repeal and saving

6. (1) The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 2012 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 1 of 2012

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975 (U.P. Act no. 42 of 1975) has been enacted to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of grievances and allegations against ministers, Legislators and other pupblic servants in certain cases. Under the said Act Shri Narendra Kishor Mehrotra was appointed as Lokayukta vide notification no. 40Lo.Aa./39-4-2006-15(5)/2006, dated March 9, 2006 from the date he resumes office. Shri Mehrotra resumed his office after taking oath on March 16, 2006. The term of Shri Mehrotra as such was expired on March 15, 2012 after the completion of the period of six years under the then provisions of sub-section (1) of section 5 of the said Act and no decision had been taken for the appointment of another person as the Lokayukta. Sinch the decision to appoint another person would take time, it has been decided to amend the said Act to provide for increasing the term of Lokayukta and Up-Lokayuktas from six years to eight years or till his successor enters upon his office, to limit the ineligibility of the Lokayuktas or Up-Lokayuktas for further appointment under the Government of Uttar Pradesh only on ceasing to hold office as such and for making the said provisions applicable to the sitting Lokayukta or Up-Lokayuktas as the case may be, on March 15, 2012.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary, the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 2012 (U.P. Ordinance no. 1 of 2012) was promulgated by the Governor on March 22, 2012.

Thereafter it has been decided to amend sections 9, 13 and 20-A of the aforesaid Act also to provide for,-

(a) payment of two thousand rupees by the complainant as security along with the complaint in respect to complaint involving allegation filed under the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Complaint) Rules, 1977;

(b) empowering the Lokayukta or any Up-Lokayukta to cease the investigation in respect of any complaint and impose cost not exceeding fifty thousand rupees where he has satisfied that the complaint is false or vexatious or not made in good faith or filed to defame the public servant;

(c) empowering the Lokayukta or any Up-Lokayukta to award compensation upto the maximum amount of the cost imposed on the complainant to public servant, who has suffered loss due to injustice or defamation;

(d) making the said compensation to be the charged expenditure on the Consolidated Fund of the State.

The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Bill, 2012 is introduced accordingly to replace the aforesaid Ordinance with the amendment as aforesaid.

By order,
ZAKI ULLAH KHAN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 269 राजपत्र(हि0)–2012–(2176)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 17 सा0 विधायी–2012–(2177)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।